भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 122B/2016-17

खिरोद चन्द्र महतो **बनाम** शंकर महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
11-11-2017		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 1986 दिनांक 07.09.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 122 B/2016–17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता खिरोद चन्द्र महतो, पिता स्व0 राम बिहारी महतो, ग्राम–छोटा गम्हरिया, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावॉं ने ईलाज हेतु क्रेता शंकर महतो, पिता–श्री गोन्धु महतो, ग्राम–बेगनाडीह, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला –खरसावॉं को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
छोटा गम्हरिया	67	93	1013/A	0.05.15 ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता राम बिहारी महतो के नाम से पंजी–II में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की अंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक के हिस्से में 3.04.476 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.05.15 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.99.326 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.05.15 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।